

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

2

अज अदालत उपर्युक्त अधिकारी मुकाम रोडामीम
 इजलास पीन सीम अधिकारी श्री जगदीश आर्य R.A.S
 उजवान

श्रीफल (2) हरसहाय
 धर्मोदा
 मोहरबाई पालि हरसहाय
 प्रतिमीना निवासी
 मोहनपुरा तहसील रोडामीम
 जिला - करौली

बनाम

1) हरकेश 2) हरजी 3) जमीलाल
 4) मनोहर 5) मल्लेश पिप
 रामसहाय 6) उमथराज 7)
 मोहेश उर्फ कल्ला पिप जमीलाल
 8) सरदार सिंह उर्फ महर 9)
 हरिसिंह पुत्र मनोहर
 10) धर्मन पुत्र हरजी समस्त प्रति
 मीन नि मोहनपुरा तहसील रोडामीम करौली
 मुकदमा नं० 81 सन् 2010

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा
 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई श्री सुरेश चन्द शाही अव. व हाजिरी
 राम अरि सी सुप्ता अव. मिनकानिब गुदई सबरु हमारे

निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

बाबादी खि लाफ प्रतिवादी गण डिक्री किया जाकर प्रतिवादी
 गण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि
 गण मोहनपुरा की भूमि ख. नं० 414 415 416 2348 325
 के वादी गण के कब्जे का रत में अजाहमत मुदायलत नहीं
 करे। वादी गण को बेदखल कर के रजा नहीं करे।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय
 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक



का अदा करे। अदालत के आज तारीख 14 माह 6 सन् 2016

मुहर

वस्तुखत उपरिजला कल्लवदर
 ओहदा रोडामीम (करौली)

	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महन्ताना वकील		
नामा वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिशनर		
कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नहीं दर्ज कराना चाहिए।